सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 10 राँची, बुधवार

15 फाल्गुन, 1940 (श०)

6 मार्च 2019 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	168-178
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 फरवरी, 2019

संख्या-03/नि०सं०-09-80/2014 का०1394-- श्रीमती मेनका, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-816/03), अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला को दिनांक 08.06.2016 से 09.07.2016 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

25 फरवरी, 2019

संचिका संख्या-04/स० भू० राँची (AOL)-21/18-771/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**14.02.2019** के मद संख्या-**13** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिलान्तर्गत अंचल-नामकुम, मौजा-कुटेटोली, थाना सं०-**299** के खाता सं०-**144** एवं प्लाट सं०-**887,** रकबा -**5.00** एकड़ गैरमजरूआ मालिक किस्म-टुंगरी भूमि आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सलेंस की स्थापना के लिए **"** दि आर्ट ऑफ लिविंग-व्यक्ति विकास केन्द्र इण्डिया" के साथ **30 (**तीस) वर्षों के लिए **1/-** रूपये पर लीज बन्दोबस्ती करने के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत। इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संदर्भित भूमि आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सलेंस की स्थापना के लिए " दि आर्ट ऑफ लिविंग-व्यक्ति विकास केन्द्र इण्डिया" के साथ **30 (**तीस) वर्षों के लिए **1/-** रूपये पर लीज बन्दोबस्ती की जाय।

i. उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती की जा रही है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

iii. अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक-**24.10.2014** एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

25 फरवरी, 2019

संचिका संख्या-4/स०भू० सराय०-60/2017-772/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**14.02.2019** में मद संख्या-**15** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा-गोपीनाथपुर, थाना सं०-**79** के खाता सं०-**40** के प्लॉट सं०-**182/**अंश में अंतर्निहित रकबा-**3.42** एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, किस्म-पुरानी परती काबिल आबाद (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**I**) को राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**48/**रा., दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में मौजा-गोपीनाथपुर में स्थित प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा-**3.42** एकड़ का औद्योगिक दर **23,97,200/- (**तेईस लाख संतानवे हजार दो सौ) रूपये प्रति एकड़ के अनुसार संगणित सलामी की राशि **81,98,424/- (**इक्यासी लाख अंठानवे हजार चार सौ चौबीस) रूपये तथा सलामी का एक (**01**) प्रतिशत वार्षिक लगान **81,984/- (**इक्यासी हजार नौ सौ चौरासी) रूपये एवं लगान का **75** प्रतिशत सेस की राशि **61,488 (**एकसठ हजार चार सौ अठासी) रूपये तथा **29** वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतेय लगान एवं सेस की राशि **41,60,688 (**इकतालीस लाख साठ हजार छः सौ अठासी) रूपये अर्थात् कुल देय राशि **1,25,02,584/- (**एक करोड़ पच्चीस लाख दो हजार पाँच सौ चौरासी) रूपये (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**II**) की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ औद्योगिक विस्तारीकरण हेतु मेसर्स मिथिला मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आदित्यपुर के साथ **30 (**तीस) वर्षों के लिए लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेशः-स्वीकृत।

i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

ii. उपायुक्त**,** सरायकेला-खरसावाँ प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।

iii. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कंपनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

iv. प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०**,** दिनांक-**24.10.2014** एवं **48/**रा०**,** दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त**,** सरायकेला-खरसावाँ यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

v. अन्य सभी शर्त्त राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०**,** दिनांक-**24.10.2014** एवं विभागीय संकल्प संख्या-**48/**रा०**,** दिनांक-**03.01.2017** तथा खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित गैरमजरूआ खास भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा(एकड़ में)	भूमि का किस्म
01	02/2012-13	गम्हरिया	गोपीनाथपुर/79	40	182/अंश	3.42	पुरानी परती काबिल आबाद

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित गैरमजरूआ खास भूमि के मूल्य की गणना :-

अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकवा (एकड़ में)	मूल्य प्रति एकड़ (रूपये में) (औद्योगिक)	सलामी की राशि (रूपये में)	सलामी का 1% वार्षिक लगान (रूपये में)	लगान का 75% सेस (रूपये में)	शेष 29 वर्षों का एकमुश्त लगान एवं सेस की राशि (रूपये में)	कुल(रूपये में) (5+6+7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
02/2012-13	गोपीनाथपुर	3.42	23,97,200/-	81,98,424/-	81,984/-	61,488/-	41,60,688/-	1,25,02,584/-

अर्थात् कुल देय राशि-1,25,02,584 /- एक करोड़ पच्चीस लाख दो हजार पाँच सौ चौरासी रूपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

1 मार्च, 2019

संचिका संख्या-4/स०भू० राँची-16/16-*856*/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**26.02.2019** के मद संख्या-**13** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय परिपत्र सं०-**307/**स०को०, दिनांक-**23.06.2004** को शिथिल करते हुए राँची जिलान्तर्गत अंचल-अरगोड़ा, मौजा-कडरू के थाना नं०-**208,** खाता नं०-**203,** प्लॉट सं०-**945** में अन्तर्निहित कुल रकबा-**34** डिसमिल कैसरे हिन्द भूमि झारखण्ड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ **30** (तीस) वर्षों के लिए **1/-** रूपये पर लीज बन्दोबस्ती करने के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत। इस शर्त्त के साथ प्रस्ताव स्वीकृत कि संदर्भित भूमि झारखण्ड राज्य विधिक परिषद को नवीकरण विकल्प के साथ **30** (तीस) वर्षों के लिए **1/-** रूपये पर लीज बन्दोबस्ती की जाय।

i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि की लीज बंदोबस्ती की जा रही है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा **12** माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।

ii. उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि की लीज बंदोबस्ती से संबंधित खाता एवं प्लॉट में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

iii. अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**48/**रा०, दिनांक-**03.01.2017** एवं खासमहाल इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

8 मार्च, 2019

संचिका संख्या-04/स० भू० पूर्वी सिंह० (गेल)-128/18-540/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**29.01.2019** में मद संख्या-**10** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत अंचल-जमशेदपुर, मौजा-अ०क्षे०स० जमशेदपुर के विभिन्न वार्ड, खाता एवं प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-**49.41** डिसमिल, किस्म-परती एवं पुरानी परती अनाबाद झारखण्ड सरकार (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -**I**) टाटा लीज क्षेत्रान्तर्गत लीज भूमि को पुर्नग्रहित (**Resume**) करते हुए राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**48/**रा०, दिनांक-**03.01.2017** के आलोक में गणना की गयी सलामी की राशि रू०-**3,72,52,878/- (**तीन करोड़ बहत्तर लाख बावन हजार आठ सौ अठहत्तर) रूपये मात्र, सलामी का **1** प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की राशि **3,72,528/- (**तीन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ अठाईस) रूपये मात्र एवं लगान का **75**% सेस की राशि **2,79,396/- (**दो लाख उनासी हजार तीन सौ छियानवे) रूपये मात्र तथा **29** वर्षों के लिए लगान एवं सेस की कुल राशि **1,89,05,796/-(**एक करोड़ नवासी लाख पाँच हजार सात सौ छियानवे) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **5,68,10,598/-(**पाँच करोड़ अड़सठ लाख दस हजार पाँच सौ अनठानवे) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक -**II**) की अदायगी पर जमशेदपुर शहरी गैस वितरण परियोजना के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के साथ **30 (**तीस) वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत।

i) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।

ii) उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।

iii) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक-**24.10.2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I)** में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।

iv) प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का लीज बंदोबस्ती की जायेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। इकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

v) यदि परियोजना के अन्तर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय कम्पनी से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।

vi) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक-**24.10.2014,** संकल्प ज्ञापांक-**48/**रा०, दिनांक-**03.01.2017,** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक-I

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा	वार्ड सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (डिसमील में)	भूमि का किस्म
01.	10/2018-19	पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	जमशेदपुर	अ०क्षे०स० जमशेदपुर	18	01	3458/अंश	7.41	पुरानी परती, अनाबाद झारखण्ड सरकार
02.	12/2018-19				04	02	1018/अंश 1028/अंश 1029/अंश 1030/अंश	34.59	परती, अनाबाद झारखण्ड सरकार
03.	13/2018-19				07	245	08/अंश	7.41	पुरानी परती, अनाबाद झारखण्ड सरकार
							सकल कुल योग	49.41 डि०	

अनुलग्नक-II

मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख संख्या/	रकबा (डिसमिल में)	भूमि का मूल्य प्रति डिसमिल (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 1% लगान (रूपये में)	लगान का 75% सेस (रूपये में)	29 वर्षों के लिए लगान तथा सेस (रूपये में)	(रूपये में)कुल देय राशि (4+5+6+7) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
10/2018-19	7.41	3,38,360	25,07,247	25,072	18,804	12,72,404	38,23,527
12/2018-19	34.59	5,97,020	2,06,50,922	2,06,509	1,54,882	1,04,80,339	3,14,92,652
13/2018-19	7.41	19,02,120	1,40,94,709	1,40,947	1,05,710	71,53,053	2,14,94,419
कुल	49.41		3,72,52,878	3,72,528	2,79,396	1,89,05,796	5,68,10,598

अर्थात् कुल देय राशि-5,68,10,598 /- पांच करोड़ अड़सठ लाख दस हजार पाँच सौ अनठानबे रूपये मात्र।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं CHANDI KUMAR PRAMANIK पिता SHRI GURUPAD THAKUR, शपथ पत्र सं० 32/02, दिनांक 13 अगस्त, 2018 के अनुसार CHANDAN KUMAR PRAMANIK के नाम से जाना जाऊँगा ।

CHANDI KUMAR PRAMANIK एवं CHANDAN KUMAR PRAMANIK दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT- - VILL & P.O.- KHAIRACHATAR,
P.S.-KASMAR,
DIST.- BOKARO,
STATE—JHARKHAND,
PIN—827302.

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 10 -- 50 ।